न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

निर्णय दिनांकः २३.९.२०२५

मुकदमा नम्बर 162/2024
ऑनलाईन नम्बर 2024/342

1. महावीर सिंह 2. भागसिंह 3. छैलूसिंह पुत्रगण भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी बिग्गा बास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 4. कंचन कंवर 5. संतोष कंवर 6. सुमन कंवर पुत्रियां भंवरसिंह जाति राजपूत जरिये मुख्त्यारआम भागसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थीगण—

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थी—

उपस्थितिः—
1. श्री पूनमचन्द मारू अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू—राजस्व अधिनियम 1956

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण निम्नानुसार निवेदन करते है कि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1217/1052 तादादी 0.0551 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है, जिसमें प्रत्येक प्रार्थीगण के नाम 1/6—1/6 हिस्सा की खातेदारी दर्ज है। उक्त खसरा भूमि के पुराने खसरा नम्बर 458/1 जिसके बाद में खसरा नम्बर 627/458 हो गये, वर्तमान खसरा नम्बर 1217/1052 है। यह खसरा भूमि श्रीडूंगरगढ़ में सरदारशहर सड़क मार्ग पर दशहरा मैदान से राजस्थान डेजर्ट रिसोर्ट के मध्य स्थित है। इस खसरा भूमि को प्रार्थीगण की माता श्रीमति नोजकंवर ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.03.2007 को खरीद किया था। प्रार्थीगण की माता की मृत्यु के पश्चात वर्णित खसरा भूमि की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज हो चुकी है। प्रार्थीगण की माता ने खसरा नम्बर 627/458 की 60X100 वर्गफुट जमीन सरदारशहर रोड़ के उतर में खरीद की। जमीन आयाताकार रूप में खरीद की थी, जिसकी उतरी — दक्षिणी सीमा 60—60 फुट व पूरब—पश्चिम 100—100 फुट है। प्रार्थीगण की माता के नाम जमीन खरीद करने के बाद जमीन का नामान्तरण प्रार्थीगण की माता नोजकंवर के नाम दर्ज हो गया तथा नक्शा में भी जिस रूप में जमीन खरीदी, उसी रूप में तरमीम हो गई यानि नक्शा में भी जमीन आयाताकार रूप में तरमीम कर दी गई, मौके पर भी जमीन 60X100 फुट आयाताकार रूप में ही स्थित है तथा आयाताकार रूप में ही प्रार्थीगण का कब्जा, उपयोग—उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थीगण ने अपनी वर्णित जमीन के चारो ओर चार दिवारी भी बना रखी है। बाद में प्रार्थीगण के पैतृक खातेदारी की इस जमीनं का नक्शा में आयाताकार की जगह पूर्वी सीमा टेढ़ी कर दी गई। प्रार्थीगण की जमीन की सीमा उतरी 60 फुट, दक्षिणी 60 फुट, पूर्वी 100 फुट व पश्चिमी 100 फुट है, परन्तु अप्रार्थी के महातत [illegible] यो ने नक्शा में प्रार्थीगण की उक्त जमीन की दक्षिणी सीमा 60 फुट की जगह 90 फुट [illegible] जो गलत है, इस वजह से नक्शा में प्रार्थीगण की जमीन आयाताकार ना होकर [illegible] सीमा टेढ़ी—मेढ़ी हो गई, जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण की जमीन वि[illegible] पत्र में व मौके पर [illegible]ताकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.26 17:54:53 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

है, परन्तु वर्तमान नक्शा में दक्षिणी सीमा 60 फुट की जगह 50 फुट कर दी, जाने से पूर्वी सीमा टेढ़ी हो गई है । तुलनात्मक रूप में नक्शा व मौका निम्नानुसार है :–

(A)
विक्रय पत्र अनुसार खरीदी व मौके पर स्थित जमीन का नक्शा

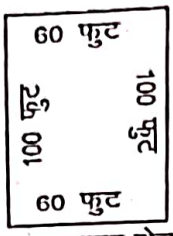

सरदारशहर रोड़

(B)
वर्तमान में नक्शा में दर्शित अनुसार

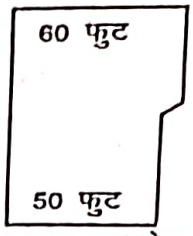

सरदारशहर रोड़

ऊपर वर्णित A मार्क विक्रय पत्र व मौके पर कब्जा अनुसार सही नक्शा है। मार्क B दर्शित गलत नक्शा है, जिसे दुरूस्त कर मार्क A अनुसार किया जाना आवश्यक है । विक्रय पत्र में अंकितानुसार नक्शा भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा, उपयोग–उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी से मौके पर कब्जा अनुसार व विक्रय पत्र अनुसार नक्शा को दुरूस्त करने का निवेदन किया तो अप्रार्थी ने कहा कि न्यायालय का आदेश लेकर आओ और दिनांक 30.06.2024 को नक्शा को विक्रय पत्र अनुसार व मौके पर कब्जा अनुसार दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया यही प्रार्थना पत्र का हेतु है। प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान्जी के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र हर तरह से अन्दर मियाद है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1217/1052 तादादी 0.0557 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़ का नक्शा को दुरूस्त कर विक्रय पत्र में अंकित अनुसार सही दर्ज किया जावे।

प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकाराज ने जवाब पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होनें व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1217/1052 तादादी 0.0557 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़ का नक्शा विक्रय पत्र में अंकित अनुसार तरमीम कर दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना करें।

आदेश आज दिनांक २३.९.२०२५ को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.26 17:54:53 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ